कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।
विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 2231/एडमिन (बी–I) सेक्शन दिनांकित 06.06.2022 के पत्र में वर्णित Circular Letter no. 797/ Admin. (B-I) Sec. Dated 15-03-1994 के अनुपालन में माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 01.07.2022 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में बचे हुए समय के लिए जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद स्थित परिसर में ठेका–मजमा फड़, ठेका–मिठाई, चाय, नमकीन, पूड़ी सब्जी व ठेका–फ्रूट, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स को नीलामी द्वारा उठाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 14–07–2022 को 01:00 बजे तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जायेगें तथा समय सांय 04:00 बजे से केन्द्रीय सभागार, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में उक्त ठेकों की नीलामी की जायेगी।

1–ठेका – मजमा	(बतौर अग्रिम धनराशि 5,000/–रू0)
1–ठेका – मिठाई, चाय, नमकीन, पूड़ी सब्जी	(बतौर अग्रिम धनराशि 20,000/–रू0)
1–ठेका – फ्रूट, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स	(बतौर अग्रिम धनराशि 20,000/–रू0)

नीलामी हेतु समय से पूर्व बोली बोलने से पूर्व बोलीदाताओ को ठेके की बतौर अग्रिम धरोहर धनराशि नजारत अनुभाग, जजी, फिरोजाबद में जमा करनी होगी, जो बोली स्वीकार होने पर ठेके की राशि में समायोजित हो जायेगी अन्यथा अगले कार्य दिवस को वापस कर दी जायेगी। शेष नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग, के नोटिस बोर्ड पर या नजारत अनुभाग जजी, फिरोजाबाद से प्राप्त की जा सकती हैं।

1.7.22

अध्यक्ष/ठेका नीलामी समिति
प्रथम अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।